क्रम संख्या–55

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03

(लाइसैन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 26 अप्रैल, 2005 ई0

बैशाख 06, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 489/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005

देहरादून, 26 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित दून विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर श्री राज्यपाल ने दिनांक 23–4–2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 18, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005

(अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2005)

दून विश्वविद्यालय नाम से ज्ञात विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो:–

अध्याय -1

प्रारम्भिक

नाम और प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

षाएँ

(1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "शैक्षिक परिषद" से विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद अभिप्रेत है;

(ख) "सम्बद्ध महाविद्यालय" से अधिनियम और विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्था/महाविद्यालय अभिप्रेत है,

(ग) "स्वायत्त महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्त घोषित महाविद्यालय अभिप्रेत है,

(घ) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;

(ड.) "संघटक महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है ;

(च) "सभा" से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है ;

(छ) "संकायाध्यक्ष" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ज) "निदेशक" से किसी विषय के अध्यापन और अनुसंधान के आयोजन व संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्थान का प्रधान अभिप्रेत है ;

(झ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी अभिप्रेत है और इसमें विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारीवृन्द सम्मिलित हैं ;

(ञ) "कार्य परिषद" से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद अभिप्रेत है;

(ट) "संकाय" से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है ;

(ठ) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(ड) "सरकार" से उत्तरांचल की सरकार अभिप्रेत है ;

(ढ) "संस्था" से किसी विषय के अध्यापन और अनुसंधान के आयोजन व संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्था अभिप्रेत है ;